भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3327

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा और आयुष प्रणालियों का एकीकरण

3327. श्री सी. एन. अन्नादुरई

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को सिद्ध, आयुर्वेद और योग सहित आयुष प्रणालियों के साथ एकीकृत करके 'हील इन इंडिया' पहल के तहत तमिलनाडु को एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा दे रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पहल के तहत तमिलनाडु में अस्पतालों, वेलनेस सेंटर, सिद्ध संस्थानों और चिकित्सा पर्यटन की अवसंरचना के उन्नयन के लिए प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का तमिलनाडु में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पंचकर्म, सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों, योग-आधारित उपचार और अन्य समग्र उपचार सुविधाओं की पेशकश करने वाले समर्पित केंद्र स्थापित करने या उन्हें सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा 'हील इन इंडिया' पहल के अंतर्गत तमिलनाडु की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने, गुणवत्ता प्रत्यायन बढ़ाने, कुशल श्रमबल विकसित करने तथा चिकित्सा मूल्य यात्रा और चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से रोजगार पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सरकार ने तमिलनाडु सहित देशभर में आधुनिक स्वास्थ्य देख-रेख को आयुष प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की दिशा में निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अंतर्गत आयुष वर्टिकल, आयुष-विशिष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने, निगरानी करने और पर्यवेक्षण के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह वर्टिकल जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, आयुष शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए रणनीतियाँ विकसित करने में दोनों मंत्रालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ii. भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की रणनीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के विकल्प उपलब्ध हो सकें। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है, जबकि राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए सहायता साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान की जाती है।

iii. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों में एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए 'आयुष मॉड्यूल - इंटर्नशिप इलेक्टिव' विकसित किए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (न्यूनतम मानक स्नातक आयुर्वेद शिक्षा) विनियम-2022 के विनियम 10 (7) के अनुसार, आयुर्वेद शिक्षण पाठ्यक्रम में आधुनिक प्रगति से संबंधित विषय-वस्तु का अनुपात 40 प्रतिशत तक हो सकता है। होम्योपैथिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के अंतर्गत, विभिन्न नई पहलों को लागू कर रहा है, जैसे प्रारंभिक नैदानिक अनुभव, वैकल्पिक विषयों की शुरुआत, संकाय विकास कार्यक्रम, आधारभूत कार्यक्रम, इंटर्नशिप के अंत में समापन कार्यक्रम तथा औषध विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे नए विषयों को शामिल करना, ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

(ख) और (ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, नए आयुष औषधालयों और आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, जिन्हें वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में पुनः नामित किया गया है, की स्थापना की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। हालांकि, आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और आयुष पद्धतियों के समग्र विकास के लिए उनके प्रयासों को सहायता प्रदान कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें एनएएम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अपने राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक तमिलनाडु राज्य को 308.91 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें अस्पतालों, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, सिद्ध संस्थानों और चिकित्सा पर्यटन अवसंरचना के उन्नयन सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से सिद्ध चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्नातक (बीएसएमएस) कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें प्रतिवर्ष 60 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायता अनुदान के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। संस्थान से संबद्ध अयोथिदौस पंडितर अस्पताल में 220 अंतःरोगी बिस्तरों की क्षमता है और यहां नियमित बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस), जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सिद्ध चिकित्सा में अनुसंधान हेतु एक शीर्ष संस्था है, तमिलनाडु में अपनी परिधीय संस्थाओं/इकाइयों के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यह संगठन भी आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान से पूर्ण रूप से वित्त पोषित है।

(घ): मंत्रालय ने आयुष उत्पादों को बढ़ावा देने, गुणवत्ता प्रत्यायन और कुशल जनशक्ति के विकास के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन हुआ है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अधिसूचित और आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित आयुष निर्यात संवर्धन परिषद् (आयुष एक्सिल), आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और यूनानी पद्धतियों के उत्पादों के निर्यात का पर्यवेक्षण करती है तथा इन क्षेत्रों से संबंधित व्यापारिक मुद्दों का समाधान करती है। परिषद् अपने सदस्यों को निर्यात प्रक्रियाओं के संबंध में क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करती है; आयुष उत्पादों के निर्यात से संबंधित व्यापार विषयक बैठकों, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, रोडशो, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करती है तथा आयुष स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान की सुरक्षा और संवर्धन करती है।

ii. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी (एएसएसयू एंड एच) औषधियों के लिए विशेष नियामक प्रावधान किए गए हैं। निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे निर्माण इकाइयों एवं औषधियों के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करें, जिसमें सुरक्षा एवं प्रभावशीलता का प्रमाण, एएसएसयू एंड एच औषधियों के लिए क्रमशः औषधि नियम, 1945 की अनुसूची न एवं अनुसूची ड-I के अनुसार बेहतर विनिर्माण प्रथा(जीएमपी) का अनुपालन तथा सिद्ध फार्माकोपिया में निर्धारित औषधियों के गुणवत्ता मानकों का पालन शामिल है।

iii. भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ संगठन है, आयुष औषधियों के लिए फार्माकोपियल मानक और फॉर्मूलरी विनिर्देश विकसित करता है, जो उनकी पहचान, शुद्धता और सामर्थ्य निर्धारित करने के लिए आधिकारिक संहिताओं के रूप में कार्य करते हैं। इन मानकों का अनुपालन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अनिवार्य है। पीसीआईएम एंड एच आयुष औषधियों के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है और आयुष औषधियों की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण पद्धतियों पर औषधि नियामक प्राधिकरणों, औषधि विश्लेषकों तथा अन्य हितधारकों के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

iv. औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि नियम, 1945 के नियम 160क से 160 ञ के अंतर्गत आयुष औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और शक्ति से संबंधित परीक्षण करने के लिए अनुमोदित किया जाता है। वर्तमान में, औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे परीक्षण करने हेतु मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 118 निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

v. आयुष मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका नाम 'आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना' (एओजीयूएसवाई) है, का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत आयुष औषधि निर्माण इकाइयों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रमशः डब्ल्यूएचओ-जीएमपी और एनएबीएल जैसे उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

vi. नियामक निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, सीडीएससीओ में आयुष वर्टिकल राज्य/केंद्र राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के साथ संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से पात्र आयुष औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन औषधि उत्पाद प्रमाणपत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।

vii. आयुष मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने तथा आयुष उत्पादों और सेवाओं की वैश्विक पहचान एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए आयुष गुणवत्ता चिह्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अन्य-पक्षीय मूल्यांकन के आधार पर आयुष औषधियों को आयुष मानक चिह्न तथा आयुष प्रीमियम चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

viii. शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तंत्र को सुदृढ़ बनाकर आयुष क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मानक निर्धारित किए हैं, जिनमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी संस्थानों हेतु संकाय संबंधी आवश्यकताएं, पाठ्यक्रम तथा नैदानिक प्रशिक्षण शामिल हैं।

ix. आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद् (एचएसएससी) के सहयोग से वर्ष 2018 में आयुष उप-परिषद् की स्थापना की, ताकि आयुष क्षेत्र में कौशल विकास, क्षमता निर्माण और रोजगार योग्यता को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान में पंचकर्म, योग, आयुर्वेद, कपिंग चिकित्सा तथा प्राकृतिक चिकित्सा जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल करते हुए 19 आयुष पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

x. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन, आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों के संवर्धन तथा कौशल विकास के लिए अवसंरचना में सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देश में प्रशिक्षित आयुष मानव संसाधन की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनुसंधान परिषदों एवं राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से सतत् चिकित्सा शिक्षा (सीएमई), कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।
